

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 428 / 2006

श्री शकील अंसारी,
अधिवक्ता,
अंसारी चेम्बर प्रियदर्शिनी नगर,
पानी टंकी के पास, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.....

अपीलार्थी

विरुद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य अभियंता,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.....

प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 23 मई 2007)

श्री शकील अंसारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (बि.क्षे.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन-पत्र 31-03-2006 के द्वारा मांगी गई जानकारी आदेश दिनांक 06-05-2006 के द्वारा अस्वीकार किये जाने से असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य अभियंता (बि.क्षे.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 26-09-2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन-पत्र के अनुसार दि0 01-04-2004 से 31-03-2005 एवं 01-04-2005 से 31-03-2006 तक कार्यालय मुख्य अभियंता (बि.क्षे.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर के द्वारा जारी किये गये टेण्डर क्वेरी और आवश्यकताओं के संबंध में कोटेशन आदि की जानकारी चाही थी, जिसके अनुसार कितने कोटेशन-टेण्डर किन-किन वस्तुओं की आवश्यकताओं के जारी किये गये, किन समाचार-पत्रों में जारी किये गये, कितने टेण्डर-कोटेशन प्राप्त हुये, उनकी प्रतियाँ, प्राप्त टेण्डर-कोटेशन के संबंध में बनाये गये तुलनात्मक प्रपत्र, वस्तुयें क्रय किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय के नोटशीट की प्रति, क्रय आदेश की छाया प्रतियाँ, प्रदाय किये गये सामग्री की जाँच रिपोर्ट एवं संबंधित प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि चूँकि टेण्डर-कोटेशन आदि प्रदायकर्ता तृतीय पक्ष है तथा उनके द्वारा अभ्यावेदन देकर उनके फर्म से संबंधित कोई भी जानकारी देने से मना किया है, अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा इस आधार पर आवेदक को सूचित करते हुये आवेदन-पत्र निरस्त किया। इसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी मुख्य अभियंता (बि.क्षे.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर

उनके द्वारा भी तृतीय पक्ष का तर्क मानकर जन सूचना अधिकारी का आदेश उचित माना गया तथा नोटशीट एवं तृतीय पक्ष से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये। इसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, अपीलिय अधिकारी तथा तृतीय पक्ष टेण्डर-कोटेशन देने वाले 06 फर्मों को नोटिस जारी किया गया। आयोग के समक्ष तृतीय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रतिअपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार किया गया। प्रतिअपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यही था कि टेण्डर के दस्तावेज संबंधित फर्मों के होते हैं, उन्हें दिये जाने से व्यावसायिक गोपनीयता भंग होगी तथा नोटशीट की छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार नहीं दी गई। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्राप्त कोटेशन आदि की जानकारी चाही है। उल्लेखनीय है कि टेण्डर प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित तिथि को सभी संबंधित फर्मों जिनके द्वारा टेण्डर दिये गये हैं उनकी उपस्थिति में टेण्डर खोले जाते हैं तथा फर्मों के द्वारा उल्लिखित की गई दर सभी के समक्ष बतलाई जाती है। पारदर्शिता बनाये रखने के लिये तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये टेण्डर की स्वीकृति पूर्ण निष्पक्षता के साथ की गई है, इसका प्रकटन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। जिन फर्मों के द्वारा टेण्डर भरे गये हैं, वे सभी विभिन्न सामग्रियों के प्रदायकर्ता हैं, जनहित में जन-सामान्य को यह जानने का अधिकार है कि विद्युत मण्डल के द्वारा उपयोग हेतु जो सामग्री क्रय की गई है, वह विधिवत् तरीके से स्वीकृत की गई है और पूर्ण गुणवत्तायुक्त हैं। अतः आयोग यह मानता है कि टेण्डर-कोटेशन आदि की वांछित जानकारी दिये जाने में व्यावसायिक गोपनीयता भंग नहीं होती है। आयोग के समक्ष तृतीय पक्ष किसी भी टेण्डर-कोटेशन देने वाली फर्म के द्वारा नोटिस देने के पश्चात् भी उपस्थित होकर अपना तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। यदि टेण्डर-कोटेशन को व्यावसायिक गोपनीयता के आधार पर प्रकटन करने से इंकार किया जाता है, तो सूचना का अधिकार का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा, अतः आयोग प्रतिअपीलार्थी के तर्कों से सहमत नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा टेण्डर-कोटेशन को अंतिम रूप देने के संबंध में मांगी गई नोटशीट की प्रति भी दी जाना चाहिये। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-2(एफ) अभिलेख की परिभाषा में फाईल सम्मिलित है, फाईल में नोटशीट भी सम्मिलित होती है।

4/ यह अवश्य है कि मांगी गई जानकारी बहुत विस्तृत है, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उसके द्वारा मांगी गई जानकारी से संबंधित अभिलेख का अवलोकन निःशुल्क करा दिया जावे तथा आवेदक उनमें से जो भी अभिलेख की प्रति चाहता है, उसके द्वारा आवेदन देने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर अभिलेखों की छायाप्रति प्रदान की जावे।

5/ अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देश सहित स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त